

अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, का कार्यालय, जामताड़ा

(संयुक्त कृषि भवन)

इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना

(अति अल्पकालीन)

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत जामताड़ा जिले के जामताड़ा प्रखंड के अंतर्गत 1 (एक) एग्री क्लीनिक का संचालन होना है। उक्त एग्री क्लीनिक के अंदर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की योजना अन्तर्गत एग्री क्लीनिक उपयोजना का क्रियान्वयन किया जाना है। जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उचित परामर्श देकर कृषि उत्पादकता, किसानों की उपज एवं उनके आय में वृद्धि कराना है। जिले में स्थापित एग्री क्लीनिक अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य, मौसम पूर्वानुमान, पौधा संरक्षण एवं कृषि से संबद्ध अन्य विषयों पर किसानों को परामर्श उपलब्ध कराया जाना है।

उक्त के संदर्भ में इच्छुक एजेंसियों/संस्थाओं/महिला समूह/स्वयं सहायता समूह/कृषक समूह/सहकारी समितियाँ/ गैरसरकारी संस्थाएँ (NGOs) से इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित किये जाते हैं।

इच्छा की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 25/8/2026 को अप० 1:00 बजे तक निर्धारित है, एवं उसी दिन अप० 03:00 बजे समिति के समक्ष समाहरणालय सभागार में प्राप्त प्रस्तावों को खोला जाएगा। इसमें प्रस्तावदाता की उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रस्ताव संयुक्त कृषि भवन प्रथम तल, में अवस्थित अनुमंडल-सह-जिला कृषि कार्यालय, जामताड़ा में आकर निर्धारित बॉक्स में प्रत्येक कार्य दिवस को कार्य अवधि में डाले जा सकते हैं।

एग्री क्लीनिक का संचालन, उपलब्ध सुविधाएँ, एग्री क्लीनिक का कार्य प्रणाली, वित्तीय प्रावधान, योजना का लाभ, एग्री क्लीनिक का कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत विवरणी एवं शर्तों की जानकारी website www.atmajamtara.org.in पर देखा जा सकता है। इच्छा की अभिव्यक्ति निम्न कार्य योजना एवं शर्तों के अधीन आमंत्रित किये जाते हैं।

शर्त :-

1. एजेंसी /संस्थान को एग्री क्लीनिक के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों/कृषि कार्यों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा। तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र को अनुभव के श्रेणी में माना जायेगा।
2. चयनित एजेंसियों/संस्थाओं को उपायुक्त के साथ एक साल के लिए Mou करना होगा। कंडिका-10 में उल्लेखित कार्यों के आधार पर चयनित एजेंसियों/संस्थाओं के Performance का मूल्यांकन कर अगले 01 वर्षों तक MOU का विस्तार किया जा सकेगा परन्तु किसी भी एजेंसी का अवधि विस्तार लगातार 02 वर्षों से अधिक नहीं होगी।
3. एजेंसी/संस्थान के पास कुल तीन सदस्य होना अनिवार्य होगा, जिसमें एक कर्मि की न्यूनतम योग्यता B.sc (Agri) तथा अन्य दो कर्मियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक के साथ कम्प्यूटर दक्षता (न्यूनतम DCA) अनिवार्य है। तत्संबंधित कर्मियों की सूची एवं कर्मियों की शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं स्टाफ प्रोफाइल एवं कर्मियों के साथ किए गए एकरारनामा/नियुक्ति पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. इसके अतिरिक्त जी. एस. टी. रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र तथा जी. एस. टी. अद्यतन रिटर्न (मार्च 2026) से संबंधित कागजात एवं अद्यतन आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष (2023-2024, 2024-25 एवं 2025-26) से संबंधित कागजात समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. इच्छा की अभिव्यक्ति को विगत तीन वित्तीय वर्षों में (2023-2024, 2024-25 एवं 2025-26) तक में कुल 25,00,000.00 (पच्चीस लाख) का टर्न ओवर होना अनिवार्य होगा, तत्संबंधित वॉछित दस्तावेज रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउंटेंट से निर्गत टर्नओवर प्रमाण पत्र प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. सर्वश्रेष्ठ एजेंसी का चयन हेतु समिति द्वारा लिए जाने वाले अंतिम निर्णय के उपरांत ही चयनित आवेदकों/एजेंसी को एकरारनामा के उपरांत कार्य आवंटित किए जाएंगे।
7. Security Money के तौर पर 10000.00 रुपये का DD जमा करना अनिवार्य होगा।
8. एजेंसी का पेन कार्ड संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. चयनित एजेंसी को एक एग्री क्लीनिक संचालन के लिए एक वर्ष में कुल 7,00,000/- (सात लाख) रु. भुगतान किया जा सकेगा।

10. इच्छा की अभिव्यक्ति दाता संयुक्त कृषि भवन प्रथम तल, में अवस्थित अनुमंडल-सह-जिला कृषि कार्यालय जामताड़ा में निर्धारित तिथि एवं समय तक आकर प्रत्येक कार्य दिवस अपना प्रस्ताव जमा कर सकते हैं।
11. एजेंसी/संस्थान को इस आशय का नोटरी पब्लिक के माध्यम से शपथ पत्र देना होगा कि उनका फर्म /संस्था काली सूची में दर्ज नहीं है एवं उनका कार्यालय अथवा शाखा कार्यालय झारखण्ड राज्य अंतर्गत है। तत् संबंधित दस्तावेज रेंट एग्रीमेंट आदि संलग्न कराना अनिवार्य होगा।
12. हस्तलिखित प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। कम्प्यूटराईज्ड प्रस्ताव ही स्वीकार्य किये जायेंगे।
13. एग्री क्लीनिक संचालन हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम राशि देय नहीं होगा।
14. परिस्थितिबश कार्य स्थगन/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगी।
15. एजेंसी/संस्थान का चयन, चयन समिति द्वारा किया जाएगा जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

योजना का कार्यान्वयन निम्न रूप से होना है-

एग्री क्लीनिक का संचालन - एग्री क्लीनिक की स्थापना एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन सेंटर भवन में स्थापित हैं। यह भवन 1592 वर्ग फीट का है। इस भवन में 35X9 फीट का एक बरामदा, 20x15 फीट का एक कमरा, 12x10 फीट का दो कमरा, 15X10,फीट का दो कमरा के साथ शौचालय तथा 10X10 फीट का एक जेनरेटर कमरा है। उक्त भवन में एग्री क्लीनिक के लिए चिन्हित विभिन्न कमरे निम्नांकित ले-आउट के अनुसार है-

- | | | |
|--------------|---|---|
| 1. बरामदा | - | कृषकों के बैठने एवं पेयजल की व्यवस्था |
| 2. कमरा न० 1 | - | एग्री क्लीनिक के संपर्क पदाधिकारी का कमरा, |
| 3. कमरा न० 2 | - | एग्री क्लीनिक कम्प्यूटर कक्ष |
| 4. कमरा न० 3 | - | मिनी स्वाईल, टेस्टिंग लैब |
| 5. कमरा न० 4 | - | कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के विशेषज्ञ/पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारी का कमरा |
| 6. कमरा न० 5 | - | स्टोर रूम |

एग्री क्लीनिक को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।

एग्री क्लीनिक की कार्य प्रणालि :- एग्री क्लीनिक प्रतिदिन 8 घंटे कृषकों को सेवा उपलब्ध करायेगी।

1. एग्री क्लीनिक की कार्यप्रणालि प्रतिदिन 9 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप. तक की होगी।
2. कृषकों के खेत से मिट्टी का नमूना प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र से प्राप्त कर मिनी स्वाईल टेस्टिंग लैब मे जांच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषक को उपलब्ध कराया जाएगा।
3. संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ कृषक मित्र के द्वारा समर्पित K.C.C आवेदन को सेवा क्षेत्र के बैंक को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा एवं किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् संबंधित कृषक को इस आशय की सूचना दिया जाना है।
4. कृषक से संबंधित सेवा क्षेत्र में अवस्थित लैम्पस/पैक्स में उपलब्ध खाद एवं बीज की पूर्ण विवरणी कृषक को उपलब्ध कराना।
5. सूक्ष्म सिंचाई की स्वीकृति की सूचना संबंधित कृषक को उनके मोबाईल पर SMS के माध्यम से उपलब्ध कराना।
6. कृषक के मांग के अनुसार कृषि उपकरण की उपलब्धता की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराना।
7. मौसम की भविष्यवाणी एवं तदनुसार फसल के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों का विशेषज्ञ सलाह कृषकों को तत्काल उपलब्ध कराना।
8. विभागीय योजनाओं यथा सरकारी तालाबों का गहरीकरण, वर्षा जल संचयन हेतु डोभा निर्माण, डीप बोरिंग, बिरसा पक्का चेक डैम, परकोलेशन टैंक, सौर उर्जा संचालित पम्प सेट में से आवश्यकता आधारित योजना के लाभ हेतु भूमि संरक्षण के स्थानीय कार्यालय को आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रेषित करना एवं स्वीकृति के उपरांत इस आशय की सूचना कृषक को उपलब्ध कराना।
9. कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं की सूचनाएं/नई योजनाओं से संबंधित सूचनाएं, प्रत्यक्षण संबंधी आवश्यक सूचनाएं, विभिन्न कृषि मेला/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से संबंधित सूचनाएं कृषकों को उपलब्ध कराना।
10. जिला अंतर्गत विभिन्न मंडियों में विभिन्न कृषि उत्पादों/अनाजों का प्रतिदिन की दर संबंधी सूचना एग्री क्लीनिक के सूचना पट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
11. मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं विपत्र जिला कृषि पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी (एग्री क्लीनिक) को उपलब्ध कराना।

वित्तीय प्रणाली:— एक एग्री क्लीनिक संचालन हेतु 7,00,000/- (सात लाख) रु. प्रति एग्री क्लीनिक की दर से देय होगा।

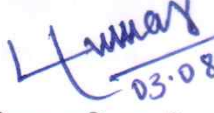
योजना का नियंत्री पदाधिकारी:— योजना का नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची होंगे। कृषि निदेशक के देख रेख में सम्पूर्ण योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

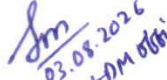
योजना से लाभ:— एग्री क्लीनिक के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी पहुंचाई जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन में ई-मोबाइल एप्स के माध्यम से किसान सूचना संचार क्षेत्र के दायरे में रहेंगे। इसके पश्चात जो भी समसामयिक कृषि विषयक सूचनाएँ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग किसानों तक पहुंचाना होगा। यह सूचना कृषकों के मोबाइल से भेजा जायेगा।

किसानों को एग्री क्लीनिक के 12 सर्विसेस यथा— मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज, खाद, कीटनाशी, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि उत्पादों का दर संबंधी सूचनाओं के बारे में जानकारी दिया जाना है।

एग्री क्लीनिक में प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक के साथ प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/समकक्ष, जनसेवक, आदि के अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य, गव्य, भूमि संरक्षण के पदाधिकारी/कर्मचारी भी सेंटर पर रोस्टर के अनुसार सुबह 9:00 बजे से शाम 5.00 बजे तक होगी। रविवार एवं N.I.Act के तहत घोषित छुट्टियों में एग्री क्लीनिक बंद रहेगा। परंतु आवश्यकतानुसार छुट्टी के दिन भी कार्य लिया जा सकेगा।

जिनका मुख्य उद्देश्य जिले के कृषकों को आवश्यक जानकारी के साथ तकनीकी ज्ञान के साथ कृषकों को लाभ पहुंचाना है। उक्त क्लीनिक का संचालन हेतु उपर्युक्त एजेंसी का चयन किया जाना है।


03.08.2026
अनुमंडल-सह-जिला कृषि पदाधिकारी,
जामताड़ा।


03.08.2026
जिला अग्रणी बैंक,
जामताड़ा।


03/08/26
जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड,
जामताड़ा।


03.08.2026
परियोजना निदेशक, आत्मा,
जामताड़ा।


03/8/26
उप विकास आयुक्त,
जामताड़ा।